(20)

Gmail

OA-182/2025/EZ

NGT Kolkata <pgngtkolkata@gmail.com>

Fwd: झारखण्ड अवस्थित जिला रामगढ़ अन्तर्गत ग्राम मरार में स्थित बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड एवं गौतम फेरो एलॉय साथ ही रामगढ़ जिला में सभी स्पंज फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को परोक्ष/गुप्त रूप में जाँचोपरांत कार्रवाई हेतु आवेदन।

2 messages

Sh Deepto Ghosh Registrar <registrarngt-kolkata@gov.in>
To: pgngtkolkata <pgngtkolkata@gmail.com>

Tue, Jun 3, 2025 at 9:04 AM

============ Forwarded message ============
From: Bhola Thakur <bholathakur1963@gmail.com>
To: <registrarngt-kolkata@gov.in>, <ngtjudicial-kolkata@gov.in>
Date: Mon, 02 Jun 2025 18:11:17 +0530
Subject: झारखण्ड अवस्थित जिला रामगढ़ अन्तर्गत ग्राम मरार में स्थित बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड एवं गौतम फेरो एलॉय साथ ही रामगढ़ जिला में सभी स्पंज फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को परोक्ष/गुप्त रूप में जाँचोपरांत कार्रवाई हेतु आवेदन।
============ Forwarded message ============

सेवा में.
माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता।

विषय- **झारखण्ड अवस्थित जिला रामगढ़ अन्तर्गत ग्राम मरार में स्थित बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड एवं गौतम फेरो एलॉय साथ ही रामगढ़ जिला में सभी स्पंज फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को परोक्ष/गुप्त रूप में जाँचोपरांत कार्रवाई हेतु आवेदन।**

महाशय ,
उपरोक्त विषय के संबंध में श्रीमान् का घयानाकर्षण करते हुए कहना है कि हमलोगों के द्वारा दिनांक 16/03/2022 को श्रीमान् सचिव, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को आवेदन डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था और इसका प्रतिलिपि श्रीमान् सचिव केन्द्रीय प्रदूषण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली. पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली, पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार, पी०एम०ओ० नई दिल्ली, मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार, उपायुक्त रामगढ़, अनुमण्डल पदाधिकारी रामगढ़ को आवेदन प्रेषित किये थे। उपायुक्त एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को छोड़कर सभी पदाधिकारियों को डाक के माध्यम से भेजा गया था जिसका पावती भी हमलोगों के पास है। जब उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया तब पुनः हमलोगों ने दिनांक 14/12/2022 को उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को स्मार पत्र उपायुक्त रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी रामगढ़ को छोड़कर सभी को डाक से प्रेषित किया गया साथ ही सभी का पावती भी हमलोगो के पास है। स्मार के पश्चात भी उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उपायुक्त रामगढ़ द्वारा हमलोगों के आवेदन को अनुमण्डल पदाधिकारी रामगढ़ को अनुमोदन उपरांत अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय मे अं० धारा 133 दं० प्र० सं० के तहत कार्रवाई की गई जिसमें वाद 1/24. राज्य बनाम् बिहार फाउंड्री एवं वाद सं0-2/24, राज्य बनाम् गौतम फेरो एलॉय दिनांक 09/04/2025 से स्थगित रखा गया है। किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करना, यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी पदाधिकारीगण मिले हुए हैं। हमलोगों ने जो आवेदन दोनो तिथि में दिया था उसका छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं।

इस प्रदूषण को लेकर हमलोग उपायुक्त से अनेकों बार मिले है लेकिन हमलोगों को मात्र आश्वासन दिया जा रहा है। यहां तक कि प्रदूषण से झारखण्ड राज्य में सबसे अधिक यक्षमा (टी०बी०) रोगी रामगढ़ में हैं. इस आशय का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला यक्षमा पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में स्पष्ट है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं। कोई भी जाँच दल प्रदूषण से सम्बंधित केन्द्र या राज्य से आता है तो बाहर बाहर आवाभगत करके भेज दिया जाता है, स्थल पर जाने नहीं दिया जाता है जबकि रामगढ़ जिला में दर्जनों स्पंज फैक्ट्री है और सभी फैक्ट्रियों द्वारा मनमानी किया जा रहा है। फैक्ट्रियों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से हमलोग जनता त्रस्त है, नाना प्रकार की बिमारियो से ग्रसित हो रहे है साथ ही रामगढ़ जिला एवं झारखण्ड राज्य में पदस्थापित पदाधिकारीगण सिर्फ लूटने में व्यस्त हैं इसलिए हमलोगों का विश्वास इन पदाधिकारियों से उठ चुका है। जमशेदपुर में सैकड़ों स्पंज प्लान्ट हैं लेकिन रामगढ़ के अपेक्षा वहीं प्रदूषण बहुत कम है।

अतः श्रीमान् से सादर आग्रह है कि आप अपने स्तर से कोई खास या गुप्त जाँच दल के माध्यम से जाँच करके इन फैक्ट्री संचालकों पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि हमलोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। इसके लिए हमलोग रामगढ़ की जनता श्रीमान् का सदा आभारी रहेंगे।

आपका विश्वासी

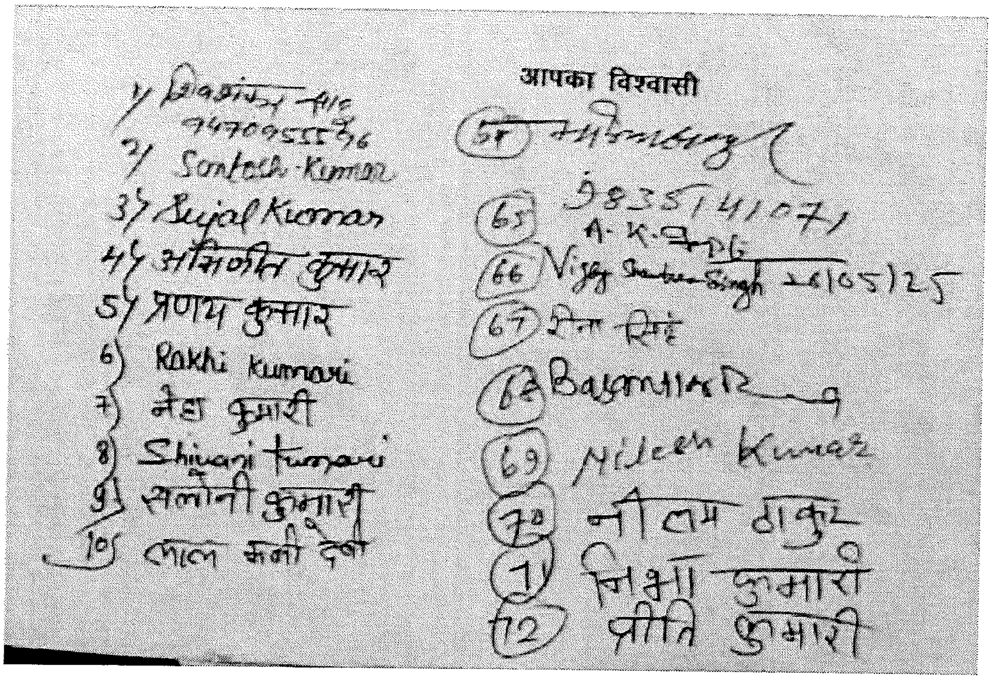

आपका विश्वासी

1) 9470955576
2) Santosh Kumar
3) Sujal Kumar
4) अभिजीत कुमार
5) प्रणय कुमार
6) Rakhi kumari
7) नेहा कुमारी
8) Shivani kumari
9) सलोनी कुमारी
10)
65) 9835141071 A. K.
66) Vijay Singh 26/05/25
67) रीना सिंह
69) Nilesh Kumar
70) नीलम ठाकुर
71) निभा कुमारी
72) प्रीति कुमारी

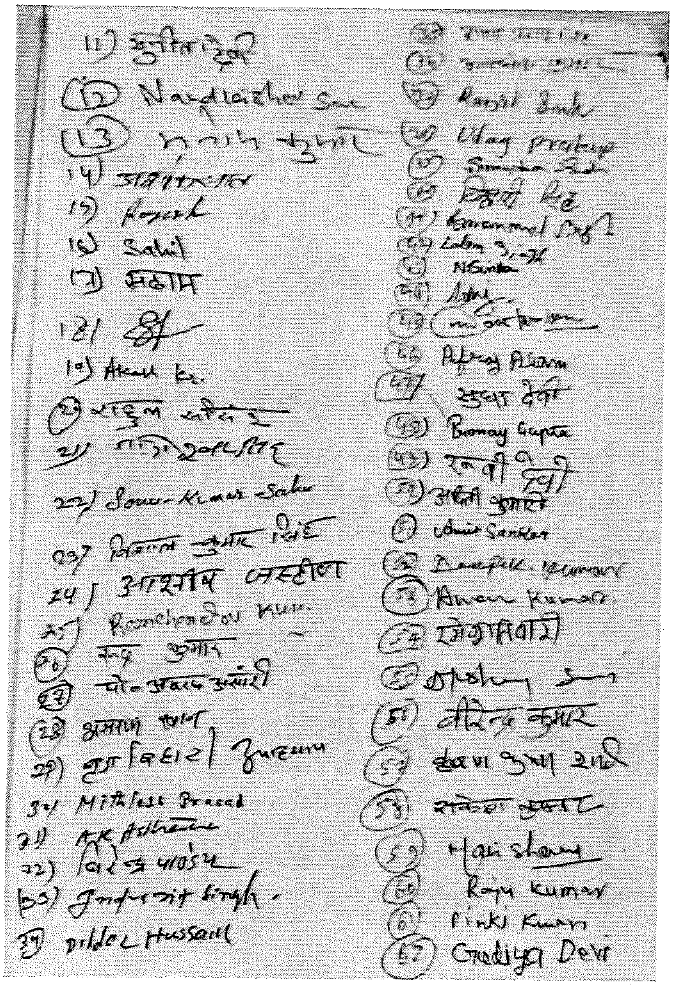

11)
12) Nandkishor Sao
13)
14)
15) Rajesh
16) Sahil
17) सद्दाम
19) Akash Kr.
20) राहुल
22) Sonu Kumar Saha
24) आशीष
25) Ramchandra Kum.
26) कुमार
30) Mithlesh Prasad
33) Inderjit Singh
34) Dilder Hussain
37) Ranjit Singh
38) Uday Pratap
46) Afroz Alam
47) सुधा देवी
48) Binay Gupta
49) रजनी देवी
50) अंकिता कुमारी
51) Amit Sanker
52) Deepak kumar
53) Aman Kumar
54) ज्योति तिवारी
56) वीरेन्द्र कुमार
59) Hari shankar
60) Raju kumar
61) Pinki Kumari
62) Gudiya Devi

National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata <ngtjudicial-kolkata@gov.in>
To: pgngtkolkata <pgngtkolkata@gmail.com>

Tue, Jun 3, 2025 at 11:44 AM

--
Regards/सादर

Judicial Section न्यायिक अनुभाग
National Green Tribunal / राष्ट्रीय हरित अधिकरण
Eastern Zone Bench / पूर्वी क्षेत्रीय न्यायपीठ,
New Town, Kolkata / न्यू टाउन, कोलकाता - 700161
Ph./संपर्क - 033-2324 0089
Email: ngtjudicial-kolkata@gov.in

[Quoted text hidden]